






फर्द अहकाम

नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

मौरी

बनाम शंकर

संख्या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
8 1 25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादिया / पक्षियों व अपक्षी सं.। उपस्थित। पक्षियों की पहिचान वकील श्री रामचंद्र मीठा ने की तथा अपक्षी सं.। की पहिचान वकील श्री किनोड शर्मा ने की है। मूख नउ से पक्षियों पर वाउ किहो बीमार होने से दावा रवाजि किया जा-युका है एसी स्थिति में उक्त पक्षियों पर आस्था निवेद्याजां व्य. आगे-यलपि जाते व्य को इ आधिकारी है उता। पक्षी वा पक्षियों पर आस्था निवेद्याजां सर हीन होने से रवाजि किया जाता है। न्यायालय द्वारा उनाके 25.4.19 को जारी स्थान आदेश पत्राव धूव्य होने से निरस्त किया जाता है पत्रावली नक्की से व्यत होमा कउ वकील दाखिल दफतरे है।</p>	<p>मौरी</p>  <p>शंकर मीठा</p>  <p>I. d.</p>  <p>शंकर मीठा</p>  <p>सुरेश कुमार मीठा</p> 

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)